Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 227/2022

Jagdish Mahto & Ors ..... Appellants.

Versus

Sukhdeo Mahto & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–30/2018–19 में दिनांक–28.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध समय–सीमा अंतर्गत दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 के द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया था। मौजा–कटिया, थाना सं0–225, खाता सं0–236, खेसरा सं0–35, 38 रकवा–71.05 डी0, खाता सं0–225, खेसरा सं0–674, 675 रकवा–21.05 डी0 एवं खाता सं0–71, खेसरा सं0–665, 664 रकवा–5.5 डी0 कुल रकवा–98.05 डी0 विवादित भूमि है। खाता सं0–225, खेसरा सं0–674, 675 से रकवा–43 डी0 भूमि सियाराम महतो एवं शुकदेव महतो द्वारा वर्ष 1959 में क्रय की गई। इसी प्रकार खाता सं0–236, खेसरा सं0–38 एवं 35 से रकवा–1.43 एकड़ बैद्यनाथ महतो एवं शुकदेव महतो द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई। खाता सं0–71 से 11 डी0 भूमि संयुक्त रूप से क्रय करते हुए आधे–आधे हिस्सों पर दखलकार हुए तथा अपने पक्ष में नामांतरण कराते हुए भू–लगान भुगतान कर रहे हैं, किन्तु विपक्षी द्वारा फरवरी 2018 में विवाद उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये आवेदन पर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही प्रारंभ की गई। निम्न न्यायालय में इनके द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया कि प्रश्नगत भूमि इनके पूर्वज नेबी महतो द्वारा तीन विक्रय संलेखों के माध्यम से संयुक्त रूप से अपने पुत्र एवं पोतों के नाम खरीद की गई थी। नेबी महतो की मृत्यु पश्चात् इनके वारिशानों के बीच खानगी बँटवारा हुआ और सभी अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए। लेकिन नेबी महतो के वारिशानों के बीच कोई विधिवत् बँटवारा नहीं हुआ है और उत्तरवादी जामुन महतो की भूमि को हड़पने की नियत से निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किये थे। जबकि उनके द्वारा सब जज, बारसोई, कटिहार के समक्ष T.S. (Partition Suit) 33/2017 दायर किया गया है जो विचारण हेतु	

Web Copy, Not Official.

		लंबित है। इस प्रकार स्वत्व वाद के लंबित रहने के दौरान प्रस्तुत वाद BLDR Act के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। इनके द्वारा उक्त स्वत्व वाद में प्रश्नगत भूमि को सम्मिलित करने हेतु आवेदन समर्पित किया है। निम्न न्यायालय द्वारा इन क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित 0किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत विवादित भूमि जब सक्षम व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन लंबित है तब प्रस्तुत वाद BLDR अधिनियम के अंतर्गत उपशमित (Abated) होना चाहिए। निम्न न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे एवं गलत आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि में स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न जुड़ा हुआ है, जिसका विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा हीं किया जा सकता है। विवादित भूमि एक संयुक्त संपत्ति है जिसका निराकरण इस न्यायालय द्वारा न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करते हुए निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त रूप से क्रय की गई थी एवं क्रय पश्चात् शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए आधे हिस्से का भू–लगान भुगतान किया जाता रहा है। अपीलार्थियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया, यह कहना गलत है कि विवादित भूमि नेबी महतो के नाम क्रय की गई एवं नेबी महतो के सभी वारिशानों के बीच खानगी बँटवारा हुआ। खानगी बँटवारे के आधार पर सभी क्रय की गई भूमि पर दखलकार है, यह तथ्यों से परे है। इसी विवाद के वजह से इनके द्वारा Sub-Judge, बारसोई के समक्ष T.S. No. 33/2017 दायर किया गया है जिसमें प्रश्नगत भूमि सम्मिलित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष एक हीं पूर्वज के वारिसान हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि इनके पूर्वज नेबी महतो द्वारा तीन विक्रय संलेखों के माध्यम से संयुक्त रूप से अपने पुत्र एवं पोतों के नाम क्रय की गई थी। उनकी मृत्यु पश्चात् खानगी बँटवारा के आधार पर सभी अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए जिसका विधिवत् बँटवारा लंबित है जो विवाद का मूल कारण है। उत्तरवादी द्वारा खानगी बँटवारे से भी इंकार किया जा रहा है। फलतः इनके द्वारा अवर न्यायाधीश, बारसोई के समक्ष Title Suit (Partition) No. 33/2017 दायर किया	

Web Copy. Not Official.

		गया है जिसमें इस वाद के अपीलार्थी प्रतिवादी (Defendants) पक्ष हैं। यद्यपि उक्त स्वत्व वाद में प्रश्नगत भूमि के सम्मिलित नहीं होने की बात कही गई है तथापि अपीलार्थियों द्वारा प्रश्नगत भूमि को उक्त स्वत्व वाद में सम्मिलित करने हेतु समर्पित आवेदन का उत्तरवादी द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद आपसी बँटवारे को लेकर है जिसमें स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न जुड़ा होना स्पष्ट परिलक्षित होता है, जिसका विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरवादी द्वारा क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	वर्ष 2017 में T.S. No. 33/2017 दायर किया गया और पुनः वर्ष 2018 में निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर करने से BLDR अधिनियम अंतर्गत उक्त वाद के उपशमन (Abatement) का उल्लेख भी विचारणीय है। इस प्रकार प्रस्तुत विवाद का विचारण सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा हीं किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि–मान्य नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.